

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

गुरजीत सिंह वगैरा बनाम स्टेट
अपील प्रकरण सं० 72/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
07.10.2019	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड हेतु दिनांक 04.11.2019 को पेश हो।</p> <p><i>ब.सि</i> 2.10.</p>	<p>1741/11.10</p>
5/11/19	<p>बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।</p> <p>पीठासीन अधिकारी <i>अ.स</i></p> <p>है। पत्रावली दिनांक 5/11/19 को पेश हो।</p> <p>फा.सं. 041 R 20 के प्रकृत प्रतिलिपि</p> <p>बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।</p> <p>पीठासीन अधिकारी <i>अ.स</i></p> <p>है। पत्रावली दिनांक 27/11/19 को पेश हो।</p>	
27/11	<p>बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।</p> <p>पीठासीन अधिकारी <i>अ.स</i></p> <p>है। पत्रावली दिनांक 27/11/19 को पेश हो।</p>	
27/11/19	<p>बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।</p> <p>पीठासीन अधिकारी <i>अ.स</i></p> <p>है। पत्रावली दिनांक 27/11/19 को पेश हो।</p>	
12/12/20	<p>अपीलार्थी अधिवक्ता प्रपु पूर्व</p> <p>फा.सं. 041 R 20 के प्रकृत प्रतिलिपि</p> <p>पत्रावली पत्रावली गहते जाव रिपोर्ट</p> <p>तलबी (50-24/3/20 को पेश हो)</p>	
24/3/20	<p>बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।</p> <p>पीठासीन अधिकारी <i>अ.स</i></p> <p>है। पत्रावली दिनांक 15/7/20 को पेश हो।</p>	
15/7/20	<p>कोरोना संक्रमण के संकेतों के कारण</p> <p>पीठासीन अधिकारी <i>अ.स</i></p> <p>बार: पत्रावली पत्रावली (50-6/7/20 को पेश हो)</p>	

OS 03 / 2011 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अपीलार्थी स्वयं को पृथक-पृथक समय पर रूक-रूक कर बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

2
(सुभाष कुमार)

अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।